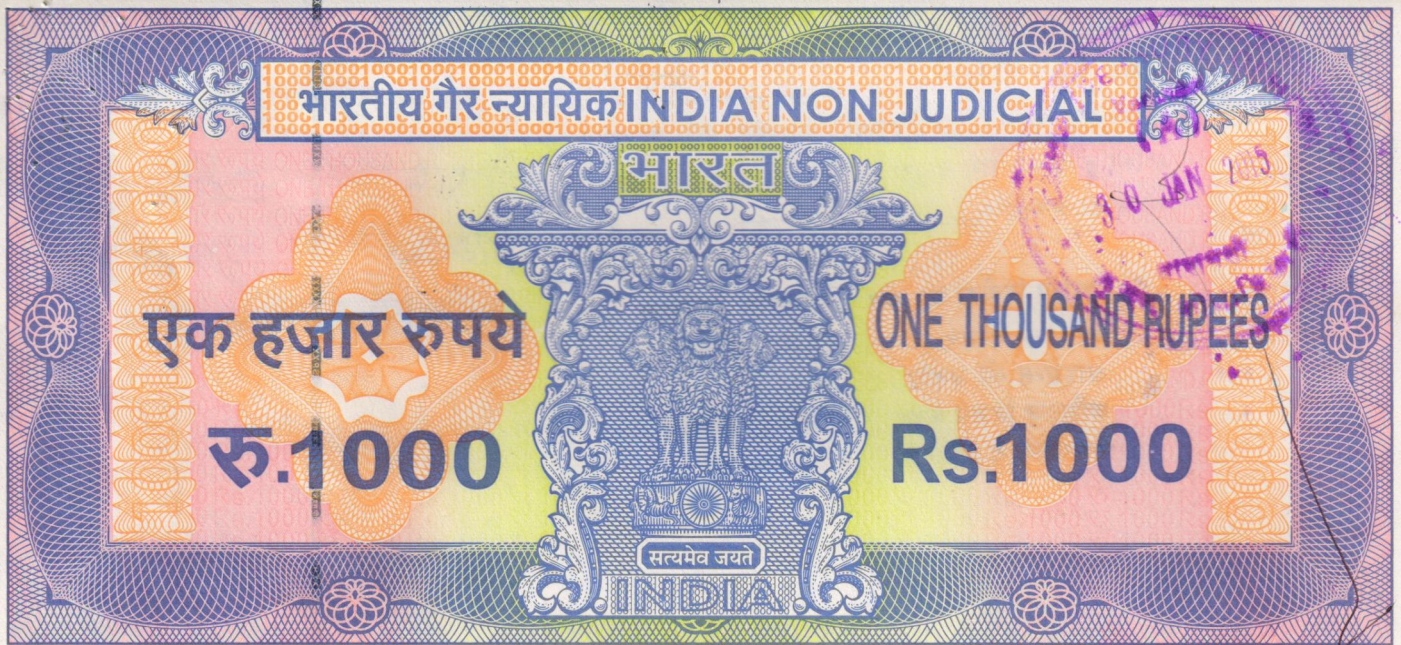




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 377058

14

और उक्त काम्पलेक्स की योजना स्वीकृत होकर विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को मिलने के उपरान्त उस पर निर्माण कार्य व विकास करने का कार्य प्रारम्भ करने तथा इस अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार अधिकार पत्र प्राप्त करके उक्त कार्य करने के लिए अपनी सहमति दिया है।

02. यह कि भू-स्वामी प्रथम पक्ष उक्त भूमि को पूर्ण रूप से रिक्त अवस्था में विकसित करने एवं उस पर फ्लैट/रिहायशी मकान का निर्माण करने के लिए विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगें।
03. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूखण्ड पर फ्लैट/ रिहायशी मकान बनाने की आवश्यक योजना व विवरण भू-स्वामी/प्रथम पक्ष की राय से तैयार कराया है तथा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष वाराणसी विकास

इसके लिए
 Arun Kumar Singh
 Q. R. G. A. I
 जितेंद्र सिंह
 B. K. Pahl
 पुनः नाला यात्रा
 राहुल यादव
 Arun Kumar Singh
 प्रशान्त सिंह
 राहुल यादव
 राहुल यादव